

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 351]

रायपुर, गुरुवार, दिनांक 13 अगस्त 2020 — श्रावण 22, शक 1942

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 13 अगस्त 2020

अधिसूचना

क्रमांक एफ 3-4/2013/1-7. — दिनांक 17-18 मई, 2013 को जिला बीजापुर के थाना गंगालुर के ग्राम एडसमेटा के नजदीक सुरक्षा बलों एवं नक्सलियों के मध्य हुई मुठभेड़ की न्यायिक जांच के लिये इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 19-05-2013 द्वारा गठित एकल सदस्यीय जांच आयोग को, उक्त अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन माह के भीतर शासन को जांच रिपोर्ट सौंपनी थी. निर्धारित समयावधि में आयोग का जांच कार्य पूर्ण न हो पाने के कारण समय-समय पर शासन द्वारा जारी की गई अधिसूचनाओं द्वारा आयोग के कार्यकाल में वृद्धि की जाती रही है. विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 30-03-2020 द्वारा आयोग के कार्यकाल में वृद्धि की गई थी, जिसकी अवधि दिनांक 30-04-2020 को समाप्त हो गई है.

2. चूंकि, वर्तमान में कोरोना वायरस COVID-19 होने के कारण राज्य में लॉकडाउन प्रभावशील था. अतः न्यायिक जांच आयोग के प्रस्ताव पर विचारोपरांत राज्य शासन एतद्वारा आयोग के कार्यकाल में लॉकडाउन समाप्त होने की तिथि (06 अगस्त, 2020) के बाद से 04 सप्ताह की और वृद्धि करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. डी. सिंह, सचिव.